न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 06 / 2022

सम्मा पुत्र दीनदार जाति मेव आयु 37 साल निवासी गोदौली थाना पुन्हाना जिला नूँह मेवात हरियाणा

......प्रार्थी0

बनाम

राजस्थान सरकार

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी अन्तर्गत धारा 457 जा0फो0 बाबत वाहन बोलेरो पिकअप रजि. नंबर एच.आर.73 / 9341 वसिलसिले एफआई आर नंबर 219 / 2021 पुलिस थाना खोह अंतर्गत धारा 5 / 8 राजस्थान गोवंश अधिनियम।

उपस्थितः—
1—श्री अरुण कुमार चौधरी,अभिभाषक प्रार्थी,
2—राजकीय पैरोकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 5.04.2022

यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री मुकीम खान द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जो संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी उक्त वाहन का जरिये विक्रय पत्र मालिक काबिज है, प्रार्थी वाहन को सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। प्रार्थी का उक्त पुलिस थाना खोह ने उक्त प्रकरण में जब्त किया है जो थाना खोह पर खुले में खड़ा हुआ है जिसके खराब होने की पूर्ण सम्भांवना है। उक्त वाहन की पुलिस थाना खोह को कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी को अपने व्यवसायिक कार्यो हेतु उक्त वाहन की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार किया जाकर जब्त वाहन बोलेरो पिकअप रजि. नम्बर एच.आर. 73 / 9341 को प्रार्थी के सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पुलिस थाना खोह से रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट मय पत्रावली शामिल मिसिल की गई। प्रार्थी अभिभाषक को सुना गया। ,

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथंनों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थी ने जब्त वाहन बोलेरो पिकअप रजि. नम्बर एच.आर. 73 / 9341 जरिये विक्रयपत्र तारीखी 18.10.2021 को फारुक पुन खैरुद्दीन निवासी गांव

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

मलाहका तहसील तावडू जिला नूंह हरियाणा से खरीद की है। प्रार्थी भाड़े पर गाड़ी चलता है। भाड़े पर चलाकर अपने व्यवसायिक कार्यो को कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थी की उक्त केस में सक्षम न्यायालय से जमानत हो गई है प्रार्थी जमानत पर वाहर है। जब्त वाहन पुलिस परिसर थाना खोह में खुले में खड़ा हुआ है, धूप वर्षात से खराब हो जावेगा। पुलिस थाना खोह को उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं है। अतः वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगी में दिया जावे। न्यायालय जो भी शर्त आदेशित करेगा प्रार्थी को उनको स्वीकार करने को तैयार है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार किया जाने की प्रार्थना की गई।

पुलिस थाना खोह से प्राप्त रिपोट में अंकित किया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी गौवंश से भरी हुई डीग की तरफ से आरही है, जिसे रोक कर चैक किया गया व गाडी चालक से नाम पूता पूछा तो अपना नाम सम्मा पुत्र दीनदार जाति मेव उम्र 37 साल निवासी गौदौली थाना पुन्हाना जिला नूह मेवात का होना बताया, दुसरे साथी ने अपना नाम पता मुनफेद पुत्र रफदीन जाति मेव उम्र 20 साल निवासी पाटा थाना नौंगावा व हाल निवासी गौदौली थाना पुन्हाना होना बताया। पिकअप गाडी रजि. नम्बर एच. आर. 73 / 9341 में 4 गौवंश जिसमें 2 गाय व 1 बछडा व 1 बछिया निर्दयता पूर्वक भरे हुये पाये गये। उक्त शक्सों से पूछा तो उक्त गौंवश को वध हेतु हरियाणा ले जाना बताया । गौतस्कर सम्मा व मुनफैद का कृत्य अपराध धारा 5/8 आरबीए एक्ट पाये जाने पर गिरफतार किया जाकर हिरासत पुलिस में लिया गया तथा पिकअप वाहन को वतौर साधन अपराध जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया।

पैरोकार सरकार ने जाहिर किया कि उक्त वाहन राजस्थान से गौवंश तस्करी कर हरियाणा राज्य में ले जाते हुये मय गौवंश पकड़ा गया है। उक्त वाहन मय गौंवश हरियाणा ले जाते हुये पुलिस थाना खोह ने धारा 5.8 राजस्थान गोवशीय अधिनियम के तहत जप्त किया गया है, एफआईआर संख्या 219 / 2021 थाना खोह में दर्ज है। प्रकरण में तफतीश जैरकार है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। प्रस्तुत सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी सुपुर्दगार ने जप्त पिकअप गाडी रजि. नम्बर एच.आर. 73 / 9341 का अपने को विक्रय पत्र के आधार पर वाहन मालिक बताता है। प्रार्थी ने सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र के साथ कथित विक्रय पत्र की फोटो प्रति

.......3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

पेश की गई उक्त कथित विक्रय पत्र दिनांक 18–10–2021 का है। जप्त वाहन का परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वाहन की आर.सी. वगे0 पेश नहीं की गई है। जप्त वाहन गौवंश तस्कीर में प्रयुक्त किये जाने पर थाना अधिकारी द्वारा जप्त किया गया है। प्रार्थी का कृत्य अपराध धारा 5 / 8 आरबीए एक्ट पाये जाने पर गिरफतार किया जाकर हिरासत पुलिस में लिया गया तथा पिकअप वाहन को बतौर साधन अपराध जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया हुआ है। पुलिस की कार्यवाही जैर अनुंसाधन है। अस्तु प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ पुलिस थाना खोह से प्राप्त पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.4.2022 को लिखा जाकर सुनाया गया

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,भरतपुर